न्यायालय सहायक कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस्
राजस्व वाद संख्या :– 74/2022

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
अशोक कुमार		सायरी वगैराह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) सी॰पी॰सी॰

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल एडवोकेट

निर्णय **दिनांक** :– 17/12/24

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 एक व 04 एक ही गांव पटेल नगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राजस्थान के मूल निवासी है। वर्तमान जमाबंदी मे खातेदार चम्पालाल फोत हो चुका है मगर फौतेदगी म्यूटेशन अभी तक नही भरा गया है चम्पालाल के कायम मुकाम अप्रांर्थी संख्या 02 ऊनकी बेवा चम्पालाल तथा जोगीदेवी पुत्री भीयाराम फौत होने से उनके कायम मुकाम अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 है ग्राम पटेल नगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 482 के खसरा नम्बर 1566 रकबा 1.2863 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1567 रकबा 1.1438 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1574 रकबा 0.7766 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.9789 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1578 रकबा 1.2135 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1581 रकबा 1.3591 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1582 रकबा 1.6827 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1585 रकबा 1.2135 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1587 रकबा 1.2863 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1948 रकबा 1.3349 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1960 रकबा 0.9384 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1964 रकबा 0.5339 हैक्टेयर, खसरा नमबर 1967 रकबा 0.6068 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1971 रकबा 1.2135 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1977 रकबा 0.2751 हैक्टेयर कुल खसरे 15 की कुल भूमि 16.1233 हैक्टेयर स्थित है उक्त वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 04 का 1/2 हिस्सा है। पूर्व में उपरोक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की पैतृक कृषि भूमि है जिसका प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 एक से 04 के बीच बंटवाडा किया जाना अति आवश्यक है वर्तमान में राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 एक से 04 मौके पर काबिज है इसके अनुसार प्रार्थी व

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अप्रार्थी संख्या 3, 4 ने अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 को मौके पर नाप एवं सीमांकन के आधार पर बंटवाड़ा करने का कहा तो वाद पेश करने के बाद अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 ने बंटवाड़ा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 बंटवाड़े के वाद मे वादी थे जो अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 से मिलीभगत कर उक्त वाद को अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने वापिस ले लिया मगर प्रार्थी ने अपना वाद वापिस नहीं लिया। इस दरम्यान अप्रार्थी संख्या 01 सायरी ने उक्त वादग्रस्त भूमि मे अपना 1/24 वे हिस्से की भूमि का बेचान वाद विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 02 को कर दिया जिससे मौके की स्थिति बदल गई जबकि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2022 को आदेश जारी कर वादग्रस्त भूमि की मौके की एवं रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखने का आदेश जारी किया गया है मगर अप्रार्थी संख्या 01 एक ने वाद विचारण के दौरान वादग्रस्त भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 01 ने अपना 1/24 वां हिस्से की भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 02 उनकी को बेचान कर दिया । जबकि न्यायालय हाजा के द्वारा स्थगन आदेश मे रेकर्ड एवं मौके की यथास्थित कायम रखने का आदेश पारित हो रखा है। अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 को यह जानकारी होते हुए कि वादग्रस्त भूमि का वाद विचाराधीन है जिसको प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को वाद बाबत अवगत भी करवाया तथा तथा अप्रार्थी संख्या 04 हरेन्द्र ने वाद विचारण के दौरान अपने हिस्से की भूमि को HDFC बैंक शाखा बिलाड़ा मे रहन रख ऋण ले लिया है जबकि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को माननीय आदेश के बारे मे बताया गया तो अप्रार्थीगणों ने एक ही स्वर में कहा कि ऐसे आदेश आते रहते है हम नही मानेगे तथा ऐसे आदेश की भोगली बना दो प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.09.2022 की फोटो प्रतिया दी जिस पर प्रत्येक अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के सामने उपरोक्त निर्णय दिनांक 06.09. 2022 की फोटो प्रतियों को फाड़ कर फेंक दिया। तथा स्पष्ट रूप से समस्त व्यक्तियो यानि अप्रार्थीगणो ने अपने मुह से गलत शब्द उच्चारित करते कहा कि ऐसे कई आदेश होते रहते है हम नहीं मानेगे । इन आदेश की भूगली बना दो जिस पर प्रार्थी को भारी मानसिक व शारीरिक सदमा पहुंचा तथा समस्त अप्रार्थीगणो ने माननीय न्यायालय के आदेश की घोर अवमानना की है जो कतई बर्दास्त के काबिल नही है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने मिल कर प्रार्थी की कब्जा सुद व काश्त सुदा भूमि में नया ट्यूबवैल खोद कर उसमे बिजली विभाग से मिली भगत कर स्थगन आदेश जारी होने के बाद कृषि विद्युत कनेक्शन को दिनांक 12.10.2022 के बाद विधुत

सहायक कलक्टर.
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कनेक्शन कर दिया है जिसकी जानकारी सहायक अभियन्ता को बखूबी वाद विचारण एवं न्यायालय के स्थगन आदेश का बखूबी पता था बावजूद न्यायालय आदेश की अनदेखी कर कृषि विधुत कनेक्शन प्रार्थी की भूमि में ट्यूबवैल खोद कर चुपके चुपके शिफ्ट कर न्यायालय आदेश की अवमानना की है। यदि अप्रार्थीगणो को सख्त से सख्त सजा नही दी गई व उनकी जमीन जायदाद को कुर्क नही किया गया तो उस सूरत मे अन्य लोग भी सबक नहीं ले सकेगे व आम जनता मे न्यायालय के आदेश के प्रति सम्मान नही रहेगा व उदाहरण बन जायेगा कि फलाह कोर्ट के फैसले का क्या असर हुआ अतः अप्रार्थीगण कड़ी से कड़ी सजा पाने के अधिकारी है । भारी से भारी जुर्माना पाने के अधिकारी है । जिसके लिये समस्त अप्रार्थीगण की जमीन जायदाद को कुर्क किया जाकर उन्हें कम से कम छः माह के लिये सिविल जैल भेजा जाये ताकि आम लोगों को यह पता चल सके कि न्यायालय के आदेश की अवमानना का क्या परिणाम होता है लोग सबक सिखेगे एवं समाज मे व्यवस्था बनी रहेगी । ताईद मे शपथ–पत्र पेश है ।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरवर्णित प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.09.2022 की अवहेलना करने एवं वाद विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को अपना 1/24 वां हिस्से की भूमि का बेचान करने एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2022 को आदेश जारी होने के बाद HDFC बैंक शाखा बिलाड़ा के द्वारा अप्रार्थी संख्या 04 हरेन्द्र के हिस्से की भूमि को रहन रख कर ऋण जारी करने न्यायालय आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है तथा अप्रार्थी की कृषि भूमि मे अप्रार्थी संख्या 05 पांच के द्वारा जबरन कृषि कनेक्शन न्यायालय आदेश की अवमानना कर जबरन शिफ्ट करने के कारण अप्रार्थीगणो को सिविल जेल भुगताई जावे तथा अप्रार्थीगण से प्रार्थी को भारी खर्चा दिलाया जावे ।

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 सी.पी.सी. का वादीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो जवाब इस आधार का पेश किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 4 ग्राम पटेल नगर के मूल निवासी है। अप्रार्थी सं. 02 के पति चम्पालालजी फौत हो चुके है। यह गलत है कि जोगीदेवी पुत्री भीयाराम फौत होने से उनके कायम मुकाम अप्रार्थी संख्या 1 से 4 है। ग्राम पटेल नगर की सरहद में खाता सं. 482 में वर्णित कुल खसरे 15 की कुल भूमि 16.1233 हैक्टेयर जरूर स्थित

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

है। परन्तु उक्त भूमि को वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित करना गलत है। प्रार्थी ने जो हिस्से वर्णित किये है, जो हिस्से प्रार्थी स्वयं साबित करे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पद सं. 2 में कृषि भूमि वर्णित की है जिसका राजस्व वाद सं. 86/2020 एक तरफा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03–08–2022 को जारी करने पर उसकी अपील धारा 223 राज. काश्तकार अधिनियम 1955 माननीय अदालत श्री राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने पेश की। तब न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर मूल राजस्व वाद सं. 86/2020 तारीख फैसला 03–08–2022 की मिसल को तलब किये जाने की तहरीर जारी की गई व उक्त पत्रावली अपीलीय कोर्ट में माननीय नायालय द्वारा मिजवायी गयी। इस पद में प्रार्थी ने जो मनगवत तथ्य लिखे है जी सरासर गलत है। यह सरासर गलत है कि अप्रार्थी से 01 सायरी ने उक्त वादग्रस्त भूमि में अपना 1/24 वे हिस्से की भूमि का बैचान वाद विचारण के दौरान अधार्थी सं. २ को कर दिया। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06–09–2022 को मूल वाद के निस्तारण तक कृषि भूमि के रेकर्ड की यथास्थिति बनाया रखने एवं बाबत अस्थाई निषेद्याज्ञा बनाये रखने का आदेश पारित किया जबकि प्रार्थी ने अपने मन से न्यायालय हाजा के द्वारा स्थगन आदेश में रेकर्डेड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित हो रखा है. लिखा है जो सर्वथा गलत है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनपढ एवं विधवाये है और प्रार्थी एक पढ़ा लिखा एक रिटायर्ड तहसीलदार है और वर्तमान में नियमित रूप से वकालत कर रहा है प्रार्थी ने जो अप्रार्थी सं. 1 से 4 के विरूद्ध यह लिखना की अप्रार्थी सं. 1 से 4 को माननीय आदेश के बारे में बताया गया तो अप्रार्थीगण एक स्वर में कहा कि ऐसे आदेश आते रहते है हम नहीं मानेगे, तथा ऐसे आदेश की भोगली बना दो। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के आदेश की दिनांक 06–09–2022 की फोटो प्रतिया दी, जिस पर प्रत्येक अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के सामने उपरोक्त निर्णय दिनांक 06–09–2022 की फोटो प्रतियों को फाड़कर फेक दिया, यह कथन बिल्कुल गलत होने से अस्वीकार है। यह कथन भी गलत है कि समस्त व्यक्तियों ने यानि अप्रार्थीगणो ने अपने मुंह से गलत शब्द उच्चारित करते कहा कि ऐसे कहीं आदेश होते रहते है। भूगली बना दो। ऐसा लगता है कि प्रार्थी अप्रार्थीगणों के विरूद्ध पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसलिये ऐसे वाक्याशं अपने पद मे लिखे है, जो सरासर गलत है। प्रार्थी ने इस पद में जो कथन जानबूझ कर गलत लिखे है। उत्तसे प्रार्थी को भारी मानसिक, शारीरिक सदमा नहीं पहुंच सकता। अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हाजा के आदेश की अवहेलना करने की सोच भी नहीं सकते। अपार्थी सं. 1 व 2 मिल कर प्रार्थी की कब्जासूद व काश्तसुदा भूमि में नया ट्यूवेवल खोदकर उसमें बिजली विभाग से मिली भगत कर स्थगन आदेश जारी होने के बाद कृषि विद्युत कनेक्शन को दिनांक 12–10–2022 के बाद विद्युत कनेक्शन कर दिया है। हालाकि इसका इस पद में वर्णित वाक्यांश का जबाव अप्रार्थी सं. 05 में प्रस्तुत कर दिया है। फिर भी यहां वर्णित करना आवश्यक हो गया कि राजस्व मूलवाद सं. 86/2020 व राजस्व विधिक प्रार्थना पत्र सं. 49/20 में किसी भी रूप में पक्षकार नहीं था। फिर भी प्रार्थी ने जानबूझ कर अप्रार्थी सं. 05 को गलत पक्षकार बनाया है। अप्रार्थीगण ने किसी भी प्रकार की माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना कतई नहीं की है। प्रार्थी स्वयं साबित करे। प्रार्थी ने जो इस पद में वाक्यांश लिखे उन वाक्याश से प्रार्थी पर संदेह पैदा होता है कि प्रार्थी योगी बन चुका है, इसलिये प्रार्थी ने प्रवचन एवं उपदेशात्मक भाषा को प्रयुक्त किया है। अतः प्रार्थना पत्र का जबाव मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से भारी खर्च से खारिज किया जावे। अप्रार्थी सं. 5 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद सं. 74/2022 प्रार्थी श्री अशोक कुमार द्वारा जो वाद संस्थित किया गया है उसमें बिन्दु सं. 6 पर विद्युत विभाग पर कृषि विद्युत संबंध कनेक्शन को अन्य खसरे में शिफ्ट करने का आरोप लगाया गया है उसमें उपभोक्ता की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन खाता सं. 0302/0045 है उपभोक्ता के परिसर पर स्वयं एवं कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौका जांच की गई है। उसमें राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के समय से 8 मीटर के विद्युत पोल लगे हुए है व विद्युत कनेक्शन अन्डरलाईन डी.पी. 2 पोल के 3 फेस लाईन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के समय की लगी हुई है। वर्तमान में 8 मीटर के पोल निगम द्वारा उपलब्ध नहीं है 9 मीटर वाले पोल ही उपलब्ध करवाये जा रहे है। विद्युत विभाग द्वारा किसी प्रकार का विद्युत कनेक्शन शिफ्ट नहीं किया गया है प्रार्थी द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो सरासर गलत है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 49/2020 चैनाराम बनाम सायरी अन्तर्गत धारा 212. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिती बनाये रखने का आदेश हो रखा था प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपना 1/24 वां हिस्सा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अप्रार्थी सं. 2 को बैचान करना बताया है लेकिन प्रार्थी अधिवक्ता ने रजिस्टर्ड बैचाननामा की प्रतिलिपि पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। बिना रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर यह मालूम नहीं किया जा सकता है कि किस खसरे का बैचान हुआ है। इसी प्रकार प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.10.2022 के बाद विद्युत कनेक्शन अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा कृषि भूमि पर स्थापित करना बताया है जिसका खण्डन सहायक अभियंता (प.व. स.)जोधपुर डिस्काम बोरून्दा ने जरिये जवाब प्रस्तुत कर किया कि अप्रार्थी को 40 वर्ष पूर्व ही विद्युत कनेक्शन जारी किया जा चुका है तथा विद्युत विभाग द्वारा किसी प्रकार का विद्युत कनेक्शन शिफ्ट नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के सभी सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया। सहखातेदार को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इस कारण प्रार्थी अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारीज किया जाता है।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा